तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-5-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्य बाहर दौरे से तहसील स्तरीय हैं। [illegible] अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली आईन्दा कार्यवाही हेतु दिनांक 25.5.22 को पेश हो।	
25.5.22	पत्रावली पेश हुई वादी अभिभाषक उपस्थित वादी आवेदक की एक तर्फा बहस प्रार्थना-पत्र सुनी गई। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थना पत्र का निष्कर्ष संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.p. में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 2013 रकबा 1.05 हैक्टेयर वाके ग्राम बड़ाखेड़ा में स्थित है, जो राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं.1 को गैरखातेदारी के रूप में अंकित है। अप्रार्थी सं.1 ने लगभग 15 वर्ष पूर्व प्रार्थी को बेचान कर कब्जा प्रार्थी को सम्भला दिया था तब से ही प्रार्थी उक्त विवादित आराजी पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा ही उक्त विवादित आराजी को समतल कर कृषि योग्य भूमि बनाई गई थी वर्तमान में कृषि भूमि कीमतें बढ़ जाने से अप्रार्थी सं.1 के मन में बदनियती आ गई। और वह वाद विवादित आराजी को गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवा कर प्रार्थी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है। यदि दौराने वाद अप्रार्थी सं.1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थी सं.1 जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लेगा और गैरखातेदारी से खातेदारी अप्रार्थी सं.4 से अपने नाम करवा लेगा जिससे प्रार्थी को ऐसी अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगी। और में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं.1 व 4 को ता फैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।	

उपखण्ड अधिकारी
बाछेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	हमारे द्वारा प्रार्थी के आवेदन की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि उक्त विवादित आराजी लगभग 15 वर्ष पूर्व अप्रार्थी से क्रय की थी तथा खाते योग्य प्रार्थी द्वारा बनाया गया तथा प्रार्थी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है अप्रार्थी सं.1 द्वारा खण्डनात्मक जवाब भी पेश नहीं किया गया अतः उक्त तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए उभयपक्ष को ता फैसला मूल पाबन्द किया जाना उचित समझते है।
	अत विवादित आराजी खसरा संख्या 2013 रकबा 1.45 हैक्टर वाके ग्राम बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ की ता फैसला मूलवाद मौके एवं रिकार्डीयाथास्थिति बनाये रखने उभयपक्ष प्रार्थी व अप्रार्थी सं 1 व 4 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी ख. स. 2013 रकबा 1.45 हैक्टर वाके ग्राम बडाखेडा के राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर सलग्न मूलवाद रहे।
	उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ (बून्दी)

Scanned with CamScanner